संख्या एनएस-एमआईएससीओओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

**भारत सरकार**

**(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)**

**भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय**

**9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स**

**लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**

**http://www.prgi.gov.in/**

दिनांक: .11.2025

2025 की परामर्शिका सं0- 46

**विषय : पीआरपी अधिनियम, 2023 के अधीन इम्प्रिंट लाइन संबंधी अपेक्षाएं।**

इसके माध्यम से सभी प्रकाशकों को प्रेस तथा नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 4(2) के तहत आने वाली अपेक्षाओं का स्मरण दिलाया जाता है। इस अधिनियम में यह उल्लिखित है कि भारत में मुद्रित प्रत्येक नियतकालिक पत्रिका में मुद्रक का नाम, मुद्रण का स्थान, संपादक का नाम, प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशन का स्थान स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समाचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों एवं स्वामियों को इम्प्रिंट लाइन हेतु निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है :

"यह समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्रिका **[प्रकाशक का नाम]** द्वारा **[प्रकाशन स्थल का पूर्ण पता]** से **[स्वामी का नाम]** की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन **[संपादक का नाम]** द्वारा किया जाता है तथा **[मुद्रक का नाम]** द्वारा **[मुद्रणालय का नाम एवं पूर्ण पता]** पर मुद्रित की जाती है।"

प्रकाशक कृपया अपनी इम्प्रिंट लाइन का पुनरीक्षण कर लें तथा जहाँ कहीं आवश्यक है और उसे अद्यतन कर लें, ताकि वह पीआरपी अधिनियम, 2023 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

यह परामर्शिका भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की जाती है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
(रजित चंद्रन एम.आर.)
**उप प्रेस महापंजीयक**
दिनांक : 26-11-2025